

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 फरवरी 2014—माघ 18, शक 1935

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2014

क्र. एफ 4-6-2012-चौवन-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग (तृतीय श्रेणी) सेवा में सदस्यों की भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार;
- (ख) “समिति” से अभिप्रेत है, विभागीय पदोन्नति समिति;
- (ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा;
- (घ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ङ) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

- (च) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति या किसी जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (झ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
- (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिकीय तथा अलिपिकीय) सेवा;
- (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी अर्थात् :—

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और
- (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उनसे संलग्न वेतनमान अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होंगे :

परन्तु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-11-1-2008-नियम-चार, दिनांक 24 जनवरी 2008 के अधीन समयमान वेतन प्राप्त करने के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

- (क) सीधी भर्ती द्वारा, प्रतियोगिता परीक्षा या चयन द्वारा;
- (ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में यथादर्शित पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूल हैसियत में धारण कर रहे हों जो इस निमित्त विनिर्दिष्ट किए जाएं;

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) तथा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के, अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय, अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधधीन रहते हुए, सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो तो वह सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अनुमोदन के पश्चात् उक्त उपनियम में, सेवा में भर्ती के लिए विनिर्दिष्ट तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करें।

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तें.—किसी अभ्यर्थी को चयन के लिये पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

- (1) आयु.—(क) उसने चयन होने की तारीख की आगामी प्रथम जनवरी को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;
- (ख) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट सीमा तथा शर्तों के अधधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी:—

(एक) कोई अभ्यर्थी जो स्थायी सरकारी सेवक हो 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) कोई अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—शब्द “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(चार) किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—शब्द “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने, या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप या स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अतिशेष घोषित किया गया हो—

- (1) ऐसा भूतपूर्व सैनिक जिसे समय पूर्व सेवानिवृत्त (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) कर दिया गया हो.
 - (2) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे—
 - (क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर;
 - (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर;
 सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.
 - (3) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक.
 - (4) संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं.
 - (5) ऐसे अधिकारी जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर निरन्तर छह मास से अधिक समय तक कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.
 - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.
 - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.
 - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने तथा घाव आदि हो जाने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.
- (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के नियम-4 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों की उच्चतर आयु-सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
 - (ङ) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
 - (च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दम्पतियों के उच्च जाति के सवर्ण पति-पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु-सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
 - (छ) “विक्रम पुरस्कार धारी” अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु-सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
 - (ज) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य, निगम/मण्डलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु अधिकतम 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.
 - (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नान-कमीशन्ड अधिकारियों के संबंध में उच्चतर (आयु सीमा) उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेवा की सम्पूर्ण कालावधि अधिकतम 5 वर्ष तक के अध्यक्षीन रहते हुए, कम करते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में संबंधित नगर सैनिक तथा नान-कमीशन्ड अधिकारी की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए.

टिप्पणी—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत चयन हेतु पात्र पाए जाते हैं, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो वे चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र दे देते हैं तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की गई हो तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे, किसी भी अन्य दशा में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी—(2) सभी प्रकार की छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु-सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, अधिकतम आयु-सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक-सी-3-11/12/1/3, दिनांक 03 नवम्बर 2012 एवं 20 नवम्बर 2012 के अनुसार की जाएगी।

टिप्पणी—(3) किसी भी अन्य दशा में इन आयु सीमाओं में छूट नहीं दी जाएगी। विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में प्रवेश के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होना चाहिए जो अनुसूची—तीन में दर्शायी गई हैं, परन्तु—

(क) आपवादिक मामलों में सरकार नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा जिसके पास यद्यपि इस खण्ड में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो सरकार की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा या चयन में सम्मिलित होने के लिए विचार किए जाने को न्यायोचित ठहराती हो और—

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को सरकार द्वारा विहित की गई फीस का संदाय करना होगा।

9. **निरर्हता.**—(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी साधन से किया गया कोई भी प्रयास नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, उनके परीक्षा/चयन में बैठने के संबंध में, निरर्हता के रूप में माना जाएगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो, तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो जिसमें दो या दो से अधिक जीवित संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु जहां किसी न्यायालय में अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसा कोई मामला लंबित है, वहां उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले का अन्तिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में विभाग का विनिश्चय अंतिम होगा.**—परीक्षा के लिए प्रवेश देने के संबंध में किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे विभाग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—(1) सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जो कि नियुक्ति प्राधिकारी विभाग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करे।

(2) विभाग द्वारा परीक्षा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी।

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे तथा ऐसा आरक्षण समस्तर रूप में और श्रेणी (हारिजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंटवाइज़) अनुसार होगा।

(5) ऐसे अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे जो निःशक्तजन हों या ऐसे अन्य प्रवर्गों के हों जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाए, उक्त आरक्षण समस्तर रूप में एवं श्रेणी के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण.—उपनियम (4) एवं (5) के प्रयोजन के लिए “समस्तर रूप में तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण” से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अनारक्षित प्रवर्ग में आरक्षण।

(6) **भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण**—तृतीय श्रेणी पदों में सीधी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों के लिए समस्तर रूप में तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण होगा तथा सीधी भर्ती में चतुर्थ श्रेणी के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण होगा।

(7) **निःशक्तजनों के लिए आरक्षण.**—शारीरिक रूप से क्षीण के लिए दो प्रतिशत दृष्टि रूप से क्षीण निःशक्तजनों के लिए दो प्रतिशत तथा श्रवण रूप से क्षीण निःशक्तजनों के लिए दो प्रतिशत समस्त तथा श्रेणी अनुसार आरक्षण होगा। इस आरक्षण के अधीन प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थी की नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ. क्रमांक 8-5-2004-अ.प्र.-एक, दिनांक 31 मार्च, 2005 के अनुसार होगी।

(8) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर विचार जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए उनके नामों के अनुसार किया जाएगा चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(9) प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा उपयुक्त घोषित किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को, यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों लिए आरक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और ये रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अगले चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।

(11) (क) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(ख) (एक) सेवा हेतु अभ्यर्थी का चयन सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चय की गई कालावधि के पश्चात् किया जाएगा।

(दो) चयन समिति साक्षात्कार लेने के पश्चात् अभ्यर्थियों का चयन करेगी।

12. चयन समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की, जो कि ऐसे मानकों द्वारा अर्ह हों जैसा कि चयन समिति अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची जो यद्यपि उस मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें चयन समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया है, योग्यताक्रम में बनाई गई एक सूची तैयार करेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित भी की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व चरित्र सत्यापन रिपोर्ट अभिप्राप्त की जाएगी।

13. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रारंभिक चयन करने हेतु अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक समिति का गठन किया जाएगा।

(2) समिति की बैठक सामान्यतः एक वर्ष से अनधिक ऐसे अंतरालों से होगी जैसा कि वह उचित समझे।

(3) पदोन्नति में आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमाएं मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति में आरक्षण और विचारण के क्षेत्र की सीमाएं) नियम, 1997 के उपबंधों और सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

14. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—(1) नियम 13 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की 1 जनवरी को, उस पद पर, जिससे की पदोन्नति की जाना है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न या मूल रूप से) सरकार द्वारा अनुसूची-चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट उनके समतुल्य घोषित पद या पदों पर पूर्ण कर ली हो और जो उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु इमरजेंसी कमीशन तथा अल्पावधि सेवा कमीशन से निर्मुक्त अधिकारियों की, सेवा में उनकी नियुक्ति के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक 22166/1967/1(3)67, दिनांक 21 अक्टूबर 1967 के अनुसार सेवा की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख से उन्हें सेवा में नियुक्त माना गया हो :

परन्तु यह और कि किसी कनिष्ठ व्यक्ति को, चयन ग्रेड/ पदोन्नति के लिए विचार करने हेतु केवल इस आधार पर कि उसने सेवा की विहित कालावधि पूर्ण कर ली है, उससे वरिष्ठ व्यक्तियों पर अधिमान नहीं दिया जाएगा।

15. उपयुक्त व्यक्तियों की सूची तैयार किया जाना.—(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो ऊपर नियम, 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। उक्त सूची में सम्मिलित किए गए व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों की एक आरक्षित सूची पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए तैयार की जायेगी।

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिए किया जाने वाला चयन वरिष्ठता का सम्यक् ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) ऐसी सूची को तैयार करते समय सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट पदों पर ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जो सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत न हुआ हो, केवल उसके पूर्ववर्ती चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्पूर्वी चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी।

(5) यथास्थिति, चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि सेवा के किसी सदस्य को अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित है तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिए अपने कारण अभिलिखित करेगी।

16. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में वर्णित पदों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शाए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची, सामान्यतः तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम, 15 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

17. **चयन सूची में सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा के संवर्ग पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आए हों।

(2) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने और प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जो सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त ठहराती हो।

18. **परिवीक्षा.**—(1) सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. **पदक्रम सूची.**—पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण संचालनालय के प्रत्येक प्रवर्ग के कर्मचारियों की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों के अनुसार एक पदक्रम सूची तैयार की जाएगी। ऐसी सूची में प्रवर्ग अनुसार सेवा में ज्येष्ठता के क्रम में कर्मचारियों के नाम दर्शित किए जाएंगे।

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे यह नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

23. **निरसन.**—इन नियमों के तत्स्थानी और उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किये गये किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई है।

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पद

अनु- क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम मुख्यालय/राज्यस्तर के पद (2)	पदों की संख्या (3)	वेतनमान+ग्रेड वेतन (4)	अभ्युक्तियां (5)
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	9300—34800+3600	
2	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	01	9300—34800+3600	
3	निरीक्षक	50	9300—34800+3600	
4	अधीक्षक	02	9300—34800+3600	
5	निज सहायक/शीघ्रलेखक वर्ग-2	07	9300—34800+3600	
6	प्रोग्रामर	01	9300—34800+3200	
7	शीघ्र लेखक वर्ग-3	02	5200—20200+2800	
8	कनिष्ठ लेखाधिकारी	52	5200—20200+2800	
9	सहायक ग्रेड-एक	04	5200—20200+2800	
10	ग्रन्थपाल	01	5200—20200+2800	
11	लेखापाल	05	5200—20200+2400	
12	अन्वेषक	01	5200—20200+2400	
13	सहायक ग्रेड-दो	08	5200—20200+2400	
14	संगणक	01	5200—20200+2100	
15	पेशकार	01	5200—20200+2100	
16	सहायक ग्रेड-तीन	21	5200—20200+1900	
17	निष्पादन लिपिक	01	5200—20200+1900	
18	अभिसाक्ष्य लेखक	01	5200—20200+1900	
19	प्रतिलिपिकार	01	5200—20200+1900	
20	आदेशिका लेखक	01	5200—20200+1900	
21	स्टेनो टायपिस्ट	04	5200—20200+1900	
22	वाहन चालक	02	5200—20200+1900	
जिला स्तर के पद				
1	लेखापाल	50	5200—20200+2400	
2	सहायक ग्रेड-दो	50	5200—20200+2400	
3	सहायक ग्रेड-तीन	50	5200—20200+1900	

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	-	100 प्रतिशत	-	अन्वेषक एवं संगणक पद से पदोन्नति द्वारा.
2	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	01	100 प्रतिशत	-	-	-
3	निरीक्षक	50	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	25 प्रतिशत पद उन विभागीय तृतीय श्रेणी कर्मचारियों से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे जो न्यूनतम अपेक्षित अर्हता रखता हो.
4	अधीक्षक	02	-	100 प्रतिशत	-	सहायक ग्रेड-एक से पदोन्नति द्वारा.
5	निज सहायक/शीघ्रलेखक वर्ग-दो	07	-	100 प्रतिशत	-	शीघ्रलेखक वर्ग-तीन से पदोन्नति द्वारा.
6	प्रोग्रामर	01	100 प्रतिशत	-	-	-
7	शीघ्रलेखक वर्ग-तीन	02	100 प्रतिशत	-	-	-
8	कनिष्ठ लेखाधिकारी	52	-	100 प्रतिशत	-	लेखापाल से पदोन्नति द्वारा.
9	सहायक ग्रेड-एक	04	-	100 प्रतिशत	-	सहायक ग्रेड-दो से पदोन्नति द्वारा.
10	ग्रंथपाल	01	100 प्रतिशत	-	-	-
11	लेखापाल	55	-	100 प्रतिशत	-	सहायक ग्रेड-3 (लेखा परीक्षा अर्हता) से पदोन्नति द्वारा.
12	अन्वेषक	01	100 प्रतिशत	-	-	-
13	सहायक ग्रेड-दो	58	-	100 प्रतिशत	-	सहायक ग्रेड-तीन से पदोन्नति द्वारा.
14	संगणक	01	100 प्रतिशत	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15	पेशकार	01	-	100 प्रतिशत	-	निष्पादन लिपिक/साक्ष्य लेखक/प्रतिलिपिकार/आदेशिका लेखक की संयुक्त पदक्रम सूची के आधार पर पदोन्नति.
16	सहायक ग्रेड-तीन	71	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	उन चतुर्थ श्रेणी कर्म-चारियों से पदोन्नति द्वारा जो मान्यताप्राप्त शासकीय संस्था से टंकण परीक्षा एवं कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हों.
17	निष्पादन लिपिक	01	100 प्रतिशत	-	-	-
18	अभिसाक्ष्य लेखक	01	100 प्रतिशत	-	-	-
19	प्रतिलिपिकार	01	100 प्रतिशत	-	-	-
20	आदेशिका लेखक	01	100 प्रतिशत	-	-	-
21	स्टेनो टायपिस्ट	04	100 प्रतिशत	-	-	-
22	वाहन चालक	04	100 प्रतिशत	-	-	-

अनुसूची—तीन
(नियम 8 देखिए)

अनु- क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं (5)	अभ्युक्तियां (6)
1	सहायक जनसंपर्क अधिकारी	21	40	मान्यताप्राप्त शासकीय विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष अर्हता और पत्रकारिता में डिप्लोमा.	
2	निरीक्षक	21	40	मान्यताप्राप्त शासकीय विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष अर्हता.	
3	प्रोग्रामर	21	40	बी.ई.(कम्प्यूटर)/बी. टेक (कम्प्यूटर/एम.सी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.	
4	शीघ्रलेखक वर्ग-तीन	18	40	(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड अथवा किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम 25 शब्द प्रतिमिनिट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>(3) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण.</p> <p>(4) निम्नलिखित संस्थाओं में से किसी से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण :-</p> <p>(एक) यू. जी. सी. द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(दो) यू. जी. सी. द्वारा किसी मान्यताप्राप्त मुक्त विश्वविद्यालय से डिप्लोमा.</p> <p>(तीन) डी.ओ.ई., ए.सी.सी. से डिप्लोमा.</p> <p>(चार) शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज से माडर्न आफिस मेनेजमेंट पाठ्यक्रम.</p>
5	ग्रंथपाल	21	40		किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि और पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा/उपाधि.
6	अन्वेषक	21	40		अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/गणित स्नातक के साथ किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि.
7	संगणक	21	40		किसी भी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण तथा स्नातक में एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र/वाणिज्य/सांख्यिकी/गणित किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से उपाधि.
8	सहायक ग्रेड-तीन	18	40		<p>(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण.</p> <p>(2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण.</p> <p>(3) किसी मान्यताप्राप्त शासकीय संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.</p>
9	निष्पादन लिपिक	18	40		<p>(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण.</p> <p>(2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण.</p> <p>(3) किसी शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	साक्ष्य लेखक	18	40	(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण. (3) किसी शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
11	प्रतिलिपिकार	18	40	(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण. (3) किसी शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
12	आदेशिका लेखक	18	40	(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण. (3) किसी मान्यताप्राप्त शासकीय संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
13	स्टेनो-टाइपिस्ट	18	40	(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 12वीं उत्तीर्ण. (2) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम 25 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन उत्तीर्ण. (3) मध्यप्रदेश मुद्रलेखन एवं शीघ्रलेखन बोर्ड या किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम से कम 80 शब्द प्रतिमिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन उत्तीर्ण. (4) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण.	
14	वाहन चालक	18	40	(1) मान्यताप्राप्त शासकीय बोर्ड/संस्था से 8वीं उत्तीर्ण. (2) कम से कम 5 वर्ष पूर्व पंजीकृत विधिमान्य व्यवसायिक वाहन चालन की अनुज्ञप्ति.	

अनुसूची-चार
(नियम 13 देखिए)

अनु- क्रमांक	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	अर्हताकारी सेवा की न्यूनतम कालावधि कॉलम (3) में दर्शाए पद पर पदोन्नति के लिए कॉलम (2) में दर्शाए पद पर की सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	शीघ्रलेखन वर्ग-दो/ निज सहायक.	निज सचिव/ शीघ्रलेखक वर्ग-एक.	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
2	प्रोग्रामर	निरीक्षक	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
3	शीघ्र लेखक वर्ग-तीन.	शीघ्र लेखक वर्ग-दो/ निज सहायक.	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
4	स्टेनो टायपिस्ट	शीघ्रलेखक वर्ग-तीन.	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
5	लेखापाल	कनिष्ठ लेखाधिकारी.	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	अन्वेषक/संगणक (संयुक्त पदक्रम सूची).	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
7	सहायक ग्रेड-एक	अधीक्षक	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
8	सहायक ग्रेड-दो	सहायक ग्रेड-एक.	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
9	सहायक ग्रेड-तीन	सहायक ग्रेड-दो/ लेखापाल (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर)	5 वर्ष	(1) संचालक, राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र—अध्यक्ष (2) सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग—सदस्य (3) उप संचालक, आयुक्त कार्यालय—सदस्य सचिव (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
10	प्रस्तुतकार	सहायक ग्रेड-एक/ लेखापाल (लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर)	5 वर्ष	(1) पीठासीन अधिकारी, वक्फ न्यायाधिकरण—अध्यक्ष. (2) आयुक्त कार्यालय के संयुक्त संचालक—सदस्य. (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	
11	निष्पादन लिपिक/ साक्ष्य लेखक/ प्रतिलिपिकार/ आदेशिका वाहक.	प्रस्तुतकार	5 वर्ष	(1) पीठासीन अधिकारी, वक्फ न्यायाधिकरण—अध्यक्ष. (2) आयुक्त कार्यालय के संयुक्त संचालक—सदस्य. (3) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक नामनिर्दिष्ट सदस्य—सदस्य.	

No. F 4-6-2012-LIV-1.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment of the members on the post of Backward Classes and Minority Welfare Department (Class - III) Services, namely:—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Backward Classes and Minority Welfare Department Class-III (Clerical and Non-Clerical) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette,

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Appointing authority" in respect of the service means the State Government;
- (b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee;
- (c) "Examination" means competitive examination to be conducted for recruitment to the service;
- (d) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (e) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;
- (f) "Schedule" means the Schedules appended to these rules;
- (g) "Scheduled Castes" means any caste, race, or tribe or part of or group within a caste, race or tribe specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 341 of the Constitution of India;
- (h) "Scheduled Tribes" means any tribe or tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as such in relation to the State of Madhya Pradesh under article 342 of Constitution of India;
- (i) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizen as specified by the State Government *vide* Notification No. F-8-5/XXV-4-84 dated the 26th December, 1984 as amended from time to time;
- (j) "Service" means Backward Classes and Minority Welfare Department Class-III (Clerical and Non-clerical) Service;
- (k) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. Scope and application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. Constitution of Service.—The Service shall consist of the following persons, namely:—

- (1) Persons who at the time of commencement of these rules are holding any post substantively or officiating capacity specified in Schedule-I;
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc.**—(1) The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled to get time scale of pay under the Finance Department's Circular No.F-11/1/2008/Rule-IV dated 24-1-2008.

6. **Method of Recruitment.**— (1) Recruitment to service after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

- (a) by direct recruitment by competitive examination or by selection :
- (b) by promotion as shown in column (2) of Schedule-IV;
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage as shown in Schedule-II of the number of posts as specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government;

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the appointing authority the exigencies of the service so require, he may after approval of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to Service.**—All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of Eligibility for Direct Recruitment.**—In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

- (1) **Age.**—(a) He must have attained the age specified in column (3) of Schedule-III and not attained the age specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below :—
 - (i) A candidate who is a permanent Government Servant, should not be more than 45 years of age.

- (ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charge employee and employee working in the Project Implementing Committees;
- (iii) A candidate, who is a retrenched Government Servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than five years.

Explanation.—The term “retrenched Government Servant” denotes a person who was in temporary Government Service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration made otherwise for employment in Government Service.

- (iv) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanations.—The term “Ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government Service :—

- (1) Ex-Serviceman released under mustering out concessions;
 - (2) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on
 - (a) Completion of short term engagement,
 - (b) Fulfilling the conditions of enrolment;
 - (3) Ex-personal of Madras civil units;
 - (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned officers;
 - (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
 - (6) Ex-Serviceman invalidated out of service;
 - (7) Ex-Serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
 - (8) Ex-Serviceman who are medically boarded out on account of gun shot, wounds etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of ten years to a women candidate in accordance with the provisions of rule 4 of the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.
- (e) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years in respect of Green-Card holder candidates under the Family Welfare Programme.

- (f) The general upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the Inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.
- (g) The upper age limit shall be relaxed upto five years in respect of the "Vikram Award" holder candidates.
- (h) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 45 years of age in respect of candidates who are employees of Madhya Pradesh State/Corporations/Boards.
- (i) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 5 years but in no case the age of concerned Home Guard and Non-Commissioned Officer should exceed 45 years.

Note. – (1) Candidates, who are found eligible for selection, under the age concession mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (c) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Note.– (2) The total relaxed period for every category shall be such which shall not exceed the upper age limit of 45 years. The maximum limit of age shall be calculated in accordance with the circular No. C-3-11/12/1/3 dated the 03-11-2012 and 20-11-2012.

Note.- (3) In no other case, will these age limits be relaxed. The Departmental candidates must obtain previous permission from their Appointing Authority to appear for the selection.

(2) **Educational qualification.**—The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III provided that—

- (a) in exceptional cases the Government may on the recommendation of the Appointing Authority treat as qualified any candidate who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed examination conducted by other institutions by such a standard which in the opinion of the Government Justifies the consideration of the candidate for appearing in the examination or selection, and

(3) **Fees.** – The candidate must pay the fees prescribed by the Government .

9. **Disqualification.**-(1) Any attempt on the part of candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in the examination/selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for any service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January 2001, in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for the appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that if there is any case pending against candidate in the court then appointment of those candidate shall be kept pending till the final decision of the case.

10. **Department's Decision about the Eligibility of Candidates shall be final.**—The decision of the Government as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Department shall be admitted to the examination.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination.**—(1) A competitive examination for recruitment shall be held at such intervals as the Appointing authority may, in consultation with the department from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the department in accordance with the orders issued by the Appointing Authority.

(3) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the persons belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and 14 percent for other Backward Classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhda Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994).

(4) 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the provisions of Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for Appointment of Women's) Rules, 1997 and such reservation shall be horizontal and compartment wise.

(5) Posts shall be reserved for candidates who are disabled persons or for such other classes as may be determined by the State Government from time to time. The reservation shall be horizontal and compartment wise. **Explanation.** For the purpose of sub-rule (4) and (5) "horizontal and compartment-wise reservation" means reservation in each category namely, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and unreserved.

(6) **Reservation for ex-servicemen**—There will be 10% horizontal and compartment wise reservation for ex-servicemen in direct recruitment in Class III posts and 20% reservation for Class IV in direct recruitment.

(7) **Reservation for persons with disabilities**—There will be two percent horizontal and compartment wise reservation for physically impaired and two percent for visually impaired persons with disabilities and two percent for hearing impaired persons with disabilities. Each category of candidate appointed under this reservation shall be in accordance with the G.A.D.'s Circular F.No.8-5-2004/A.Ps/1 dated 31-3-2005.

(8) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(9) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the department to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(10) If sufficient number of candidates are not available to fill the vacancies reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes then remaining vacancies shall not be filled by other category candidates without prior permission of the Government and these vacancies shall be kept reserved for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes for next selection.

(11) (a) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority that there is a possibility, the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(b) (i) Selection of candidate for service will be done after duration decided by the Government from time to time.

(ii) The selection committee shall select the candidates after taking interview.

12. List of Candidates Recommended by Selection Committee.—(1) The selection committee shall prepare a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the selection committee may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for General Information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961 selected candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right of appointment unless the Appointing Authority is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Before issuing the appointment orders, the report of character verification shall be obtained.

13. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a Committee, consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at such intervals as it thinks fit but ordinarily not exceeding one year.

(3) Reservation in promotion and limits to the extent of zone of consideration shall be made in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Reservation in Promotion and limits of extent of zone of consideration) Rules, 1997 and instructions issued by the Government in General Administration Department from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotion.—(1) The committee referred to in sub-rule (1) of rule 13, shall consider the cases all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) in the post from which promotion is to be made or on any other post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of the Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (3):

Provided that the service of released officers of the emergency commission and short service commission after their appointment in the service shall be counted from the date from which they have been deemed to have been appointed in the service in accordance with General Administration Department's Circular No. 22166/1967/1 (3)/67 dated 21st October 1967:

Provided further that no junior person shall be considered for selection for selection-Grade/promotion in preference to the persons senior to him only on the basis of completing the prescribed period of service.

15. Preparation of the list of suitable candidates—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule-14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service on posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list :

Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact to his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, as the case may be, it is proposed to supersede any member of service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Select List.—(1) The list finally approved by the Government, shall form the select list for promotion of the members of the service to post shown in column (3) of Schedule-IV from column (2) of Schedule-IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15 but its validity shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government, may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to Service from select list.—(1) Appointments of the employees included in the select-list to post borne on the cadre of the service shall follow the order in which the names of such employees appear in the select list.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select-list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. Probation.—(1) Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. Gradation list.—A gradation list of employees of every category of the Backward Classes and Minority welfare Sanchalnalaya shall be prepared according to the post specified in Schedule-1. In such list names of employees shall be shown according to category-wise seniority in the service.

20. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. Savings.—Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in the orders issued by the State Government from time in this regard.

23. Repeal.—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:
Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE -- I
(See Rule 5)

Classification, Scale of Pay and posts included in the service

S. No.	Name of posts included in the Service Headquarter/State Level Posts	Number of Posts	Pay Scale +Grade Pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Statistical Officer	01	9300—34800+3600	-
2.	Assistant Public Relation Officer	01	9300—34800+3600	-
3.	Inspector	50	9300—34800+3600	-
4.	Superintendent	02	9300—34800+3600	-
5.	Personal Assistant/Stenographer Grade-II	07	9300—34800+3600	-
6.	Programmer	01	9300—34800+3200	-
7.	Stenographer Grade-III	02	5200—20200+2800	-
8.	Junior Accounts Officer	52	5200—20200+2800	-
9.	Assistant Grade-I	04	5200—20200+2800	-
10.	Librarian	01	5200—20200+2800	-
11.	Accountant	05	5200—20200+2400	-
12.	Investigator	01	5200—20200+2400	-
13.	Assistant Grade-II	08	5200—20200+2400	-
14.	Computer	01	5200—20200+2100	-
15.	Reader	01	5200—20200+2100	-
16.	Assistant Grade-III	21	5200—20200+1900	-
17.	Execution Clerk	01	5200—20200+1900	-
18.	Deposition Writer	01	5200—20200+1900	-
19.	Copyist	01	5200—20200+1900	-
20.	Process Writer	01	5200—20200+1900	-
21.	Steno Typist	04	5200—20200+1900	-
22.	Driver	02	5200—20200+1900	-
District Level Posts				
1.	Accountant	50	5200—20200+2400	-
2.	Assistant Grade-II	50	5200—20200+2400	-
3.	Assistant Grade-III	50	5200—20200+1900	-

SCHEDULE-II
(See Rule 6)
Method of Recruitment

S.No.	Name of the Post included in the Service	Total Number of Posts	Percentage of the Number of posts to be filled in			Remarks
			By direct recruitment	By promotion of the members of service	By temporary transfer of persons of other Services	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Statistical Officer	01	-	100%	-	By Promotion from the post of Investigator and Computer.
2.	Assistant Public Relation Officer.	01	100%	-	-	-
3.	Inspector	50	75%	25%	-	-25% posts shall be filled up from departmental class-III employees by promotion who are having minimum required qualification
4.	Superintendent	02	-	100%	-	By Promotion from Assistant Grade-I
5.	Personal Assistant/ Stenographer Grade-II.	07		100%		By Promotion from Stenographer Grade-III.
6.	Programmer	01	100%	-	-	-
7.	Stenographer Grade-III	02	100%	-	-	-
8.	Junior Accounts Officer	52	-	100%	-	By promotion from Accountant.
9.	Assistant Grade-I	04	-	100%	-	By promotion from Assistant Grade-II.
10.	Librarian	01	100%	-	-	-
11.	Accountant	55	-	100%	-	By Promotion from Assistant Grade-III (By qualifying accounts examination).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12.	Investigator	01	100%	-	-	-
12.	Assistant Grade-II	58	-	100%	-	By promotion from Assistant Grade-III.
14.	Computer	01	100%	-	-	-
15.	Reader	01	-	100%	-	By promotion from joint gradation list of Execution Clerk/ Deposition Writer/ Copyiest/Process Writer.
16.	Assistant Grade-III	71	75%	25%	-	By promotion from of Class-IV employee who have passed typing examination and computer examination from recognized Government Institution.
17.	Execution Clerk	01	100%	-	-	-
18.	Deposition Writer	01	100%	-	-	-
19.	Copyist	01	100%	-	-	-
20.	Process Writer	01	100%	-	-	-
21.	Steno Typist	04	100%	-	-	-
22.	Driver	04	100%	-	-	-

SCHEDULE – III
(See Rule - 8)

S. No.	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualifications	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Assistant Public Relation Officer	21	40	Graduation or equivalent qualification from recognized Government University and deploma in Journalism.	-
2.	Inspector	21	40	Graduation or equivalent qualification from recognized Government University.	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3.	Programmer	21	40			BE (Computer)/B. Tech (Computer)/ MCA, BCA, PGDCA
4.	Stenographer Grade-III	18	40	(1)		12th pass from recognized Government Board/Institution.
				(2)		Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any at least recognized institution with speed of 25 word per minute.
				(3)		Hindi Stenography examination passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized institution with speed of at least 100 word per minute.
				(4)		Computer exam passed from any of the following institutions :—
				(i)		Diploma from UGC recognized university.
				(ii)		Diploma from any recognized open university of UGC.
				(iii)		Diploma from D.O.E.A.C.C.
				(iv)		Modern office management course from Government Polytechnic College.
5.	Librarian	21	40			Degree from any recognized University and diploma/degree in Library Science.
6.	Investigator	21	40			Degree from any recognized university with Economics/Commerce/Statistics/ Maths as a subject in Graduation.
7.	Computer	21	40			Computer examination passed from any recognized Institution and Degree from any recognized university with Economics/ Commerce/Statistics/Maths as a subject in Graduation.
8.	Assistant Grade-III	18	40	(1)		12 th pass from recognized Government Board/Institution.
				(2)		Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution with speed of at least 25 word per minute.
				(3)		Computer examination passed from any recognized Government Institute.
9.	Execution Clerk	18	40	(1)		12 th pass from recognized Government Board/Institution.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				(2)	Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution.	
				(3)	Computer exam passed from any govt. recognized Institute.	
10.	Deposition Writer	18	40	(1)	12 th pass from recognized Government Board/Institution.	
				(2)	Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution.	
				(3)	Computer exam passed from any recognized Government Institute.	
11	Copyist	18	40	(1)	12 th pass from recognized Government Board/Institution.	
				(2)	Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution.	
				(3)	Computer exam passed from any recognized Government Institute.	
12	Process Writer	18	40	(1)	12 th pass from recognized Government Board/Institution.	
				(2)	Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution.	
				(3)	Computer exam passed from any recognized Government Institute.	
13	Steno Typist	18	40	(1)	12 th pass from recognized Government Board/Institution.	
				(2)	Hindi typing passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution with speed of at least 25 word per minute.	
				(3)	Hindi steno passed from Madhya Pradesh Typing and Stenographer Board or any recognized Institution with speed of at least 80 word per minute.	
				(4)	Computer exam passed from any recognized Government Institution.	
14	Driver	18	40	(1)	8 th pass from recognized Government Board/Institution.	
				(2)	Valid commercial driving license registered at least 5 years before.	

SCHEDULE-IV
(See rule 13)

S.No.	Name of the post from which promotion is to be made	Name of the Post to which promotion is to be made	Number of years of service on the post shown in column (2) for promotion to the post shown in column (3) Minimum period of qualifying service	Members of Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Stenographer Grade-II/ Personal Assistant.	Personal Secretary/ Stenographer Grade-I	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	
2	Programmer	Inspector	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	
3	Stenographer Grade-III	Stenographer Grade-II/ Personal Assistant.	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	
4	Steno Typist	Stenographer Grade-III	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Accountant	Junior Accounts Officer	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	
6	Investigator/ Computer (Joint Gradation List).	Assistant Statistical Officer.	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member.	
7	Assistant Grade-I.	Superintendent	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	
8	Assistant Grade-II.	Assistant Grade-I.	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	
9	Assistant Grade-III.	Assistant Grade-II/ Accountant (Account Exam passed).	5 years	(1) Director, State Level Backward Classes Employment and Training Centre—Chairman. (2) Secretary, Backward Classes Commission—Member. (3) Deputy Director, Commissioner Office—Member-Secretary. (4) One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Reader	Assistant Grade-1/ Accountant (Account Exam passed).	5 years	1. Presiding Officer, Waqf Tribunal—President. 2. Joint Director from office the Commissioner—Member. 3. One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member.	
11	Execution Clerk/ Deposition Writer/Copyist/ Process Writer.	Reader	5 years	1. Presiding Officer, Waqf Tribunal—President. 2. Joint Director from office the Commissioner—Member. 3. One Nominated Member of Scheduled Caste/ Scheduled Tribe—Member.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. खैरवार, उपसचिव.